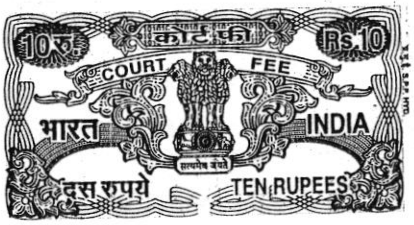

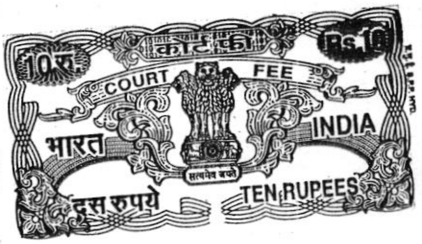

(108)

समक्ष न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल
ग्वालियर, केम्प भोपाल (म0प्र0)

निग - 112 - PBR-16

रा0पुन0क्र0 /16

श्रीमति पूर्णाबाई पति प्रेमनारायण पवार,
नि0ग्राम हिवरा, तह0मुलताई, जि0बैतूल म0प्र0
-----पुनरीक्षणकर्ता

श्री प्रमोद श्रीवास्तव अभिभाषक द्वारा 26.2.16 को प्रस्तुत

बनाम

1- श्रीमति कविता बेवा ज्ञानेश्वर पवार,
नि0ग्राम कामथ, तह0मुलताई, जि0बैतूल,
2- प्रेमनारायण पिता सुन्दरलाल पवार,
नि0ग्राम हिवरा, तह0मुलताई, जि0बैतूल,
-----गैर पुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त नर्मदापुरम सम्भाग होशंगाबाद म0प्र0 द्वारा राजस्व अपील क्र0 08/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 26/02/2015 से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

पुनरीक्षणकर्ता ने अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त नर्मदापुरम सम्भाग होशंगाबाद म0प्र0 के समक्ष श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई, जि0बैतूल, म0प्र0 द्वारा राजस्व अपील क्र0 29अ/6/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 28/06/2008 से परिवेदित होकर राजस्व अपील प्रस्तुत कर बताया था कि पुनरीक्षणकर्ता का पुत्र मृतक ज्ञानेश्वर वल्द प्रेमनारायण के नाम पर ग्राम हिवरा, तह0मुलताई, जि0बैतूल में कृषि भूमि ख0नं0 284/1, 284/3 एवम् 421/5 है जो उसे गैर पुनरीक्षणकर्ता क्र0 2 प्रेमनारायण पवार से बटवारे में प्राप्त हुई है । ज्ञानेश्वर की असामयिक मृत्यु हो जाने से उक्त कृषि भूमि पर गैर पुनरीक्षणकर्ता क्र0 1 के नाम के साथ पुनरीक्षणकर्ता का नाम हिन्दु

पूर्णाबाई / कविता आदि

47

YY(-)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-712-P/16 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.12.16 कोरम	आवेदक की ओर से श्री टी० के० चौधरी अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश मुलताई के आदेश दिनांक 24.11.2016 के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यवाही समाप्त की जाकर, तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे व्यवहार न्यायालय की उपरोक्त डिक्री के पालन में कार्यवाही करें। 2/ अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री मेहरबान सिंह अभिभाषक उपस्थित। अध्यक्ष	

[कृ. प. उ.